

# उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

## फर्द अहकाम

9.7.21 पत्रावली धाफ डाउन के कारण जनरल पेशी से पेशा हुई। वकील अभय पक्ष उपस्थित। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल दावा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जाहा दीवानी स्वीकार हो चुका है तथा मूल दावा खारिज हो जाने से इस प्रार्थना पत्र में आगे कार्यवाही जारी रखना न्यायोचित नहीं है अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेदाज्ञादानी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

(दुर्गा प्रसाद मीना)  
उपसचिव अधिकारी टोडाभीम  
जिला-करौली